

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-3/स्था0 रा0भू0वि-01/2014-.....807-(3)/रा0, दिनांक- 4.9.15

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0-11543, दिनांक- 10.08.2015, अधिसूचना सं0-11747 दिनांक-12.08.2015 तथा अधिसूचना सं0-12367 दिनांक-24.08.2015 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को वर्तमान पद से स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-4 में अंकित पद एवं स्थान पर (अपने वेतनमान में) अगले आदेश तक पदस्थापित किया गया है:-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री तारानन्द महतो वियोगी (689/11, सहरसा)	वरीय उप समाहर्ता, अररिया	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
2	श्री संदीप कुमार (963/11, नालंदा)	वरीय उप समाहर्ता, किशनगंज	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान
3	श्री विनोद कुमार (1376/11, भोजपुर)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, राजगीर, नालंदा	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली
4	श्री मंजीत कुमार (1182/11, पटना)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, डेहरी, रोहतास	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण
5	श्री अर्जुन प्रताप चन्द्र (1115/11, जहानाबाद)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेरघाटी, गया	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, पूर्णियां
6	श्री आदित्य कुमार झा (1350/11, भागलपुर)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, नीमचक बथानी, गया	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, बांका
7	श्री सुबोध कुमार सिंह (1054/11, पटना)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, जहानाबाद	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, नालंदा
8	श्री विनय कुमार साह (979/11, मुंगेर)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, मढ़ौरा	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गया
9	श्री राजेश कुमार (1016/11, बेगूसराय)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, लखीसराय	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय
10	श्री हरेन्द्र राम (1282/11, भोजपुर)	वरीय उप समाहर्ता, जहानाबाद	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा
11	श्री राजेश कुमार सिंह (840/11, समस्तीपुर)	वरीय उप समाहर्ता, लखीसराय	जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, दरभंगा

3. उपरोक्त पदाधिकारियों को भू-अर्जन के कार्यों के सम्पादन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3(जी) के अन्तर्गत बिहार राज्यपाल के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु अधिनियम की धारा-11, 13, 15, 16(6), 17, 19(2) एवं 81 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

4. पूर्व की प्रक्रियान्तर्गत भू-अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उपरोक्त पदाधिकारियों को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-4, 5(ए), 6 एवं 35 को छोड़कर समाहर्ता की शक्ति प्रदत्त की जाती है।

5. पूर्व की एतद् संबंधी सभी अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0भू0बि-01/2014-807-(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-4.09.15
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0भू0बि-01/2014-807-(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-4.09.15
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0भू0बि-01/2014-807-(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-4.09.15
प्रतिलिपि:- मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के कोषांग/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, भू-अर्जन, निदेशालय, बिहार, पटना संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0भू0बि-01/2014-807-(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-4.09.15
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

संख्या-3/स्था0 रा0भू0बि-01/2014-807-(3)/रा0, पटना-15, दिनांक-4.09.15
प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ एवं सभी संबंधित को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक),
सरकार के अवर सचिव।

E-Mail
FAX